न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2010/00204 (96/2010) 223 आरटीएक्ट

1. द्रोपती पुत्री टोडरमल पत्नी मनोहरलाल पुत्र श्रीराम जाति ब्राम्हण सा0 अमानी तह0 टोहाना।
2. लीलादेवी पुत्री टोडरमल पत्नी महावीर पुत्र रामजीलाल जाति ब्राम्हण निवासी मेहरिया तह0 भादरा।
3. फूलकी उर्फ फूली पुत्री टोडरमल पत्नी भगताराम पुत्र हजारी जाति ब्राम्हण सा0 सागड़ा तह0 भादरा।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. सावित्री बेवा रामस्वरूप पुत्री मूला राम जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा ।
2. शुभकरण पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा ।
3. सज्जन कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा ।
4. राकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा ।
5. रामप्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा ।
6. शंकर पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा हाल कैमरी रोड़ नजदीक मनजीत साईकल स्टोर हिसार।
7. कमला पुत्री मोहन लाल पत्नी मनीराम पुत्र रामकरण जाति ब्राहम्ण सा0 मढोली तह0 सिवानी जिला भिवानी
8. विद्या पुत्री मोहन लाल पत्नी नत्थूराम पुत्र मोमनराम जाति ब्राहम्ण सा0 नहराना तह0 भट्ठू जिला फतेहाबाद
9. मधु पुत्री मोहनलाल पत्नी राधेश्याम जाति ब्राहम्ण सा0 नहराना तह0 भट्ठू जिला फतेहाबाद
10. प्रभाती बेवा विश्वनाथ पुत्र सालगराम जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा
11. महावीर पुत्र खेमानन्द सा0 मेहरिया जाति ब्राहम्ण तह0 भादरा हाल अग्रसेन नगर मकान नं0 1159 मीरा चौक के पास श्री गंगानगर।
12. मु0 सुखदेई बेवा आशाराम पुत्र सालगराम जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा
13. राजेश पि0 द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा
14. संजय पि0 द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा
15. सुखदेई पत्नी द्वारकाप्रसाद जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा
16. सन्तोष पुत्री द्वारका प्रसाद ब्राहम्ण पत्नी पवन कुमार पुत्र रामकिशन निवासी जुई बिचली तह0 लोहारू जिला भिवानी।
17. मन्जू पुत्री द्वारका प्रसाद पत्नी मनोज निवासी जुई बिचली ब्राहम्ण तह0 लोहारू जिला भिवानी
18. सुरमेला पुत्री द्वारका प्रसाद बाहमण सा0 महरिया तह0 भादरा
19. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.07.2010 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा प्र0 सं0 104/1998 सावित्री आदि बनाम मोहनलाल आदि

उपस्थितः–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 5
श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 19

निर्णय दिनांकः– 19.11.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 ने एक वाद उदघोषणा एवं खाता विभाजन का अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 19 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। वाद पत्र में कथन किया कि पक्षकारान के पूर्वज लक्ष्मीनारायण की 24.14 बीघा भूमि थी जिसमें वादीगण के दादा मूला के समय प्रश्नगत भूमि का बाहमी विभाजन कर लिया जिसके ताबे उन्हें ख0 नं0 109 की 9.04 बीघा भूमि व शेष भूमि सालगराम को मिली जिसके वारिस प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को प्राप्त हुई। भू प्रबन्ध विभाग ने कुल वाद भूमि को अकेले प्रतिवादीया के नाम दर्ज कर दिया जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 6 का वाद भूमि में 1/2 भाग था। भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार हक खतम करने का कोई अधिकार नहीं था तथा उक्त अंकन वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 6 के हकों के मुकाबले शुन्य है अतः वादीगण का वाद भूमि में 1/2 हिस्सा घोषित किया जावे तथा ख0 नं0 102 की 9.04 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज कर खाता व माल अलग कायम किये जाने की इस्तदुआ की जो विचारण न्यायालय ने डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद घोषणा व खाता विभाजन का था जो दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं होने से खारिज योग्य था फिर भी वादी रस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 ने प्रश्नगत भूमि में अपने हकों की घोषणा चाहते हुए खाता विभाजन मुताबिक पुराने समझौते के ताबे वादीगण सं0 1 ता 5 तथा प्रतिवादी सं0 6 खसरा नं. 102 की 9.04 बीघा के खातेदार काश्तकार होने तथा ख0 नं0 197 की 12.14 बीघा व ख. नं. 198 की 2.16 बीघा के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 ता 5 होने बाबत इस्तदुआ चाही थी जिसका विरोध अपीलाण्ट द्वारा अपने जवाब दावा की मद सं0 7 में किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस और कोई गौर नहीं किया। रेस्पोडेण्ट ने प्रश्नगत भूमि के कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलाण्ट का कब्जा काश्त के संबंध में विरोध होने के कारण अधिनस्थ न्यायलाय के समक्ष बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय बिना विभाजन प्रस्ताव मंगवाये ही कानूनन अन्तिम डिक्री पारित नहीं कर सकता है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना को विफल करने की नियत से ही दावा साबित

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नहीं होने से प्रारम्भिक डिक्री योग्य ही नहीं था। उक्त नियमों की व्यवस्था को भंग करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 आरआरटी पेज 229, 2008 आरबीजे पेज 446, 2011 आरआरटी पेज 432 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ता 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान के पूर्वज लक्ष्मीनारायण की खसरा नं. 153–146–53–में 24.14 बीघा भूमि थी जो नये खसरा नं. 197–198–102 में पैमूद हुई। लक्ष्मीनारायण के दो बेटे जगनाराम व सालगराम हुए जिन्होंने बहिस्सा बराबर लक्ष्मीनारायण की विरासत हासिल की। जगनाराम के एक मात्र मूला हुआ वा मूला के दो बेट रामस्वरूप व द्वारका प्रसाद हुए जिन्होंने जगना की 1/2 भाग विरासत हासिल की वा सालगराम के पांच बेटे जिन्होंने सालगराम का 1/2 भाग प्राप्त किया। वादीगण के दादा मूला के समय उक्त भूमि का बाहमी विभाजन कर लिया जिसके ताबे उन्हें खसरा नं. 109 की 9.04 बीघा भूमि मिली वा शेष सालगराम को मिली जिसके वारिस प्रतिवादी सं0 1 ता 5 हैं। भू प्रबन्ध विभाग ने कुल वाद भूमि को अकेले प्रतिवादीया के नाम दर्ज कर दिया जबकि वादीगण व प्रतिवादी सं0 6 का वाद भूमि में 1/2 भाग था। भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार हक खत्म करने का कोई अधिकार नहीं था। रिकार्ड से साबित है कि प्रश्नगत भूमि पर रेस्पाडेण्टान का कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2001 पेज 539, आरआरडी 2003 पेज 20 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 का वाद घोषणा एवं खाता विभाजन का था। जिसमे वादीगण ने वाद भूमि के 1/2 भाग घोषित करते हुए ख. नं. 102 की 9.04 बीघा भूमि के खातेदारी दर्ज कर खाता व माल अलग कामय किये जाने का अनुतोष मांगा था। वाद पत्र में अपीलाण्ट प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी सं0 4 के द्वारा जवाब दावा पेश किया गया था कि वाद भूमि में लक्ष्मीनारायण का कोई सम्बन्ध नहीं है उक्त भूमि मन्दिर ठाकुर जी की थी जसकी पूजा सालगराम करता था इसी अनुसार वह अकेले खातेदार काश्तकार हो गया जिसके वारिसान प्रतिवादी सं0 1 ता 5 हैं। भू प्रबन्ध विभाग गलत प्रविष्टि दर्ज कर दी जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था।

7. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत 2014 से 17 प्रदर्श 4 संलग्न जिसमें वाद भुमि पुराने खसरा नं. से भूमि लक्ष्मीनारायण पुत्र हरीराम के नाम दर्ज है तथा खसरा भू प्रबन्ध प्रदर्श 2 में यह भूमि खसरा तब्दिली के साथ लक्ष्मीनारायण से सीधे मूला पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज हुई है जिसके बाद सालगराम के पांच बेटों के नाम दर्ज हुई है। उक्त तब्दिली भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई है। दोनों पक्ष अपने दावा वा जवाब दावा में मानते हैं कि भू प्रबन्ध विभाग को तब्दिली का कोई अधिकार नहीं था। यदि भू प्रबन्ध विभाग के अंकन से वादीगण को कोई अधिकार नहीं मिलता है तो निश्चित तौर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी पक्ष को भी कोई अधिकार नहीं मिल सकता इसलिए भूमि मूल खातेदार लख्मीनारायण की विरास्त के अनुसार ही प्राप्त होगी। प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा पर्चा लगान व माल की रसीद पेश की जिसमें वे रसीदात माल किस भूम की है ये स्पष्ट नहीं हेाता है, इन रसीदात में भूमि का विवरण अंकित नहीं है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भू मन्दिर ठाकुर जी से सालगराम को मिली हो। जहां तक प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त का प्रश्न है रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2030 से 33 प्रदर्श–3 है जिसमें खसरा नं. 102 की 9.04 बीघा भूमि रामस्वरूप, दशरथ, पि0 मूला की काश्त खाता नं. 16 में दर्ज है इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 2 व 3 में भी प्रश्नगत भूमि पर वादीगण/रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त बताया गया है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त हो। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में हम ऐसा कोई विधिक त्रूटि नहीं पाते हैं जिसके आधार पर उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2010 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील सं0 2010/00204 (96/2010) 223 आरटीएक्ट

1. द्रोपती पुत्री टोडरमल पत्नी मनोहरलाल पुत्र श्रीराम जाति ब्राम्हण सा0 अमानी तह0 टोहाना।
2. लीलादेवी पुत्री टोडरमल पत्नी महावीर पुत्र रामजीलाल जाति ब्राम्हण निवासी मेहरिया तह0 भादरा।
3. फूलकी उर्फ फूली पुत्री टोडरमल पत्नी भगताराम पुत्र हजारी जाति ब्राम्हण सा0 सागड़ा तह0 भादरा।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सावित्री बेवा रामस्वरूप पुत्री मूला राम जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा ।
2. शुभकरण पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा ।
3. सज्जन कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा ।
4. राकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा ।
5. रामप्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा ।
6. शंकर पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा हाल कैमरी रोड़ नजदीक मनजीत साईकल स्टोर हिसार।
7. कमला पुत्री मोहन लाल पत्नी मनीराम पुत्र रामकरण जाति ब्राहम्ण सा0 मढोली तह0 सिवानी जिला भिवानी
8. विद्या पुत्री मोहन लाल पत्नी नत्थूराम पुत्र मोमनराम जाति ब्राहम्ण सा0 नहराना तह0 भट्ठू जिला फतेहाबाद
9. मधु पुत्री मोहनलाल पत्नी राधेश्याम जाति ब्राहम्ण सा0 नहराना तह0 भट्ठू जिला फतेहाबाद
10. प्रभाती बेवा विश्वनाथ पुत्र सालगराम जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा
11. महावीर पुत्र खेमानन्द सा0 मेहरिया जाति ब्राहम्ण तह0 भादरा हाल अग्रसेन नगर मकान नं0 1159 मीरा चौक के पास श्री गंगानगर।
12. मु0 सुखदेई बेवा आशाराम पुत्र सालगराम जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा
13. राजेश पि0 द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा
14. संजय पि0 द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा
15. सुखदेई पत्नी द्वारकाप्रसाद जाति ब्राहम्ण सा0 मेहरिया तह0 भादरा
16. सन्तोष पुत्री द्वारका प्रसाद ब्राहम्ण पत्नी पवन कुमार पुत्र रामकिशन निवासी जुई बिचली तह0 लोहारू जिला भिवानी।
17. मन्जू पुत्री द्वारका प्रसाद पत्नी मनोज निवासी जुई बिचली ब्राहम्ण तह0 लोहारू जिला भिवानी
18. सुरमेला पुत्री द्वारका प्रसाद बाहमण सा0 महरिया तह0 भादरा
19. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा। —रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.07.2010 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा
प्र0 सं0 104/1998 सावित्री आदि बनाम मोहनलाल आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 5, श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 19 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2010 यथावत रखे जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 19.11.2019 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.12.04 12:45:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: